

26/11/19 पत्रावली पेश हुई।
पी.ओ. साहब दोष/अवकाश पर
कानून के अन्तर्गत दि. 28/12/19 पत्रावली पेश की।

न्यायालय प्रीमर

उमराव बनाम रामेश्वर
C/No 4/2016

14/02/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
उप. नही वकील वादी को 5.30 P.M.
तक बक - बक कर तीन बार

जावाज भगवाई गई। वकील वादी
या उनका कोई प्रतिनिधि उप. नही।

इतना वादी के वाद को अदम
पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया
जाकर पत्रावली फेसल्य शुमार होकर
नाम्बर से रफ्त हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

